भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
आयकर भवन,मकबूल आलम रोड, वाराणसी

आयकर अधिनियम 1961 का धारा : 80G(5)(vi) के आधीन आदेश

दिनांक : 26.02.2013

संस्था /न्यास Lok Chetna Samiti ; Sarnath, Varanasi

पैन नं0– AAATL1056B

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि संस्था/न्यास Lok Chetna Samiti, Sarnath, Varanasi को दिया गया दान आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80G(5)(vi) के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में करमुक्त होगा। बशर्ते कि उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो,

(1) दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में उस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति किस कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) से देय है, स्पष्ट लिखा हो।

(2) आय एवं व्यय का हिसाब वार्षिक विवरण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये।

(3) यह कर मुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2013-14 (वित्तीय वर्ष 2012-13) से देय है।

Sd/-
(डी0एन0मिश्रा)
आयकर आयुक्त, वाराणसी

फा0 सं0 आ0आ0/वारा0 / 62/ 80जी/ रजिस्टर पं0क0सं0–93 /2012–13 /2104 दिनांक: 26.02.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेंतु प्रेषित :–

(1) सचिव/अध्यक्ष/न्यास, संस्था/ Lok Chetna Samiti, Sarnath, Varanasi संस्था/न्यास के द्वारा आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था, अतः यह कर मुक्ति की कर निर्धारण वर्ष 2013-14 अर्थात वित्तीय वर्ष 2012-13 से देय है।–

(2) संस्था/ न्यास को यह सुनिश्चित कराना होगा कि संस्था/न्यास की प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरण, वार्षिक आय–व्यय के अभिलेखों के प्रति के साथ, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में आयकर प्रावधानों क अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जमा की जाय।

(3) इसके अतिरिक्त यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था/न्यास की आयकर विवरणी की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई जो संस्था/न्यास के मूल उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत पाए गए अथवा संस्था/न्यास के क्रिया कलाप प्रमाणिक नहीं रहे तो, आयकर आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त संस्था/न्यास को पूर्व में जारी आय की धारा 80G(5)(vi) के अधीन मान्यता को तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दे।

(4) अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र I/II/III वाराणसी।

(5) उप/सहायक आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र I/II/III वाराणसी को जो उपरोक्त संस्था/न्यास के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जांच करें कि बोर्ड के आदेश संख्या 3/फा0सं0 367/175/47/70/आइ0टी0ए0 दिनांक 08.10.1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारिती प्रत्येक वर्ष आयकर विवरणी समय से दाखिल कर रहा है। उसके अतिरिक्त आयकर विवरणी की जांच करने पर यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था/न्यास के वार्षिक आय–व्यय लेखों के किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है जो संस्था/न्यास के मूलभूत उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है या संस्था/न्यास के कार्यकलाप प्रमाणिक नहीं हैं तो उसकी आख्या अपनी टिप्पणी सहित अपनी परिक्षेत्र के अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त के माध्यम से यथा समय इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि नियममानुसार आयकर आयुक्त द्वारा प्रदत्त आयकर अधिनियम,1961 की धारा–80G(5) (vi) के आधीन मान्यता रद्द की जा सके।

(ओ0पी0सिंह)
आयकर अधिकारी (मु0–11)
कृते आयकर आयुक्त,
वाराणसी